

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T(P).S No.- 16/1994-95

सरजोम हो एवं अन्य।

बनाम

सुरेन्द्र हो एवं अन्य।


आदेश


यह वाद दिनांक- 16.08.1994 को वादी सरजोम हो, पिता- स्व० चमरा हो एवं 07 अन्य निवासी ग्राम- गोर नीमडीह, पो०- दलकी, थाना- टोन्टो, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा वाद पत्र के Schedule में वर्णित भूमि का Declaration के लिए प्रतिवादी सुरेन्द्र हो, पिता- स्व० कोन्दा पातर हो एवं 02 अन्य निवासी ग्राम- गोर नीमडीह, पो०- दलकी, थाना- टोन्टो, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से वादी पक्ष की और से कोई पैरवी नहीं करने के कारण नोटिस भेजा गया। लेकिन सुनवाई हेतु कई तिथि गुजर जाने के बाद भी वादीगण या उनके अधिवक्ता की और से कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

अतः उक्त परिस्थिति में वादी को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद को खारिज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।


03.09.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


03.09.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।